*ई–मेल
स्पीड पोस्ट/
निबंधित डाक

पत्रांक–09/न०वि०(स०वास्तु०)–02/2025 .... न0वि0 एवं आ0वि0

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

राजीव शंकर,
सरकार के संयुक्त सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

***द्वारा–आंतरिक वित्तीय सलाहकार**

पटना, दिनांक–

विषय :– चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में नव पदस्थापित 09 सहायक वास्तुविद् के संबंधित नगर निगम से माह जुलाई, 2025 से फरवरी, 2026 तक के वेतनादि भुगतान हेतु स्थापना एवं प्रतिबद्धता व्यय अन्तर्गत कुल राशि ₹74,04,214/– (चौहत्तर लाख चार हजार दो सौ चौदह रूपये) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति।

आदेश :– स्वीकृत।

जिला आयोजना क्षेत्र प्राधिकार में 09 सहायक वास्तुविद् को विभागीय अधिसूचना सं0–8450 दिनांक–31.07.2025 द्वारा पदस्थापित किया गया है। संबंधित जिला आयोजना क्षेत्र प्राधिकार का कार्यालय वर्तमान में संबंधित जिला मुख्यालय में अवस्थित नगर निगम का कार्यालय है। वर्तमान में नवगठित आयोजना क्षेत्र प्राधिकार का P/L खाता खुलने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। उक्त आयोजना क्षेत्र प्राधिकार में पदस्थापित सहायक वास्तुविदों के वेतनादि का भुगतान किया जाना आवश्यक है। वर्णित स्थिति में उक्त नवपदस्थापित 09 सहायक वास्तुविद के वेतनादि का भुगतान संबंधित नगर निगम के माध्यम से नगर निकायों में कार्यरत राज्यकर्मी के रूप में कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

2. उक्त के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में नव पदस्थापित 09 सहायक वास्तुविद् के संबंधित नगर निगम से माह जुलाई, 2025 से फरवरी, 2026 तक के वेतनादि भुगतान हेतु कुल राशि ₹74,04,214/– (चौहत्तर लाख चार हजार दो सौ चौदह रूपये) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति निम्नवत् दी जाती है:–

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	जिला आयोजना क्षेत्र प्राधिकार का नाम	कुल स्वीकृत की जाने वाली राशि (राशि रूपये में)	P/L खाता संख्या	HOA संख्या
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*
1	नगर निगम, गया जी	गया जी	799906.00	GYAPLA014	00-8448-00-102-0001-00-01
2	नगर निगम, मुंगेर	मुंगेर	799906.00	MGRPLA011	00-8448-00-102-0001-00-01
3	नगर निगम, मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर	799906.00	MUZPLA015	00-8448-00-102-0001-00-01
4	नगर निगम, पूर्णियाँ	पूर्णियाँ	799906.00	PRNPLA012	00-8448-00-102-0001-00-01
5	नगर निगम, छपरा	सारण	799906.00	SRNPLA003	00-8448-00-102-0001-00-01

6	नगर निगम, बिहारशरीफ	नालंदा	799906.00	NLDPLA006	00-8448-00-102-0001-00-01
7	नगर निगम, आरा	भोजपुर	799906.00	BJRPLA006	00-8448-00-102-0001-00-01
8	नगर निगम, बेगूसराय	बेगूसराय	902436.00	BGSPLA010	00-8448-00-102-0001-00-01
9	नगर निगम, दरभंगा	दरभंगा	902436.00	DBGPLA012	00-8448-00-102-0001-00-01
कुल			**74,04,214.00**		

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि **₹74,04,214.00 (चौहत्तर लाख चार हजार दो सौ चौदह रूपये मात्र)**।

3. उक्त स्वीकृत राशि **₹74,04,214.00 (चौहत्तर लाख चार हजार दो सौ चौदह रूपये मात्र)** के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होंगे, जिनके द्वारा वित्त विभाग के परिपत्र सं0–2561 दिनांक–17.04.98 एवं पत्रांक–227, दनांक–28.03.2025 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जाएगी। ***उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास द्वारा राशि संबंधित नगर निगमों के PL खाता में CFMS के माध्यम से Inter Departmental विधि से Online हस्तांतरित किया जाएगा।*** **राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं किया जाएगा।**

4. संबंधित नगर निगम के नगर आयुक्त द्वारा स्वीकृत राशि संबंधित सहायक वास्तुविद को नियमानुसार भुगतान की जायेगी। अनियमित भुगतान की सम्पूर्ण जिम्मेवारी संबंधित नगर आयुक्त की होगी।

5. उक्त स्वीकृत राशि **₹74,04,214/– (चौहत्तर लाख चार हजार दो सौ चौदह रूपये)** मात्र की निकासी स्थापना एवं प्रतिबद्धता व्यय अन्तर्गत मांग संख्या–48–नगर विकास एवं आवास विभाग, मुख्य शीर्ष–2217–शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघुशीर्ष–191–नगर निगम, को सहायता, उप शीर्ष–0003–नगर निगमों में कार्यरत राज्यकर्मी, विपत्र कोड–**48-2217-03-191-0003,** विषय शीर्ष–**31.04** सहायक अनुदान–वेतन मद से की जाएगी।

6. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–573, दिनांक–16.01.1975 एवं 04–15/2009–9736, दिनांक–19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम–271 के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं अंकेक्षित लेखा स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अन्दर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है। तदालोक में राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक–63, दिनांक–11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण–पत्र BTC Form-42A में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जाएगी।

7. स्वीकृत राशि यदि चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में व्यय नहीं हो सके या व्यय होने की संभावना नहीं हो तो शेष राशि का प्रत्यार्पण दिनांक–31.03.2026 तक अवश्य कर दिया जाय। किसी भी परिस्थिति में अव्यवहृत राशि को किसी बैंक खाता में नहीं रखा जाय अन्यथा इससे उत्पन्न अनियमितता की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

8. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–7355 वि०(2), दिनांक–05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

9. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–09/न०वि०(स०वास्तु०)–02/2025 के पृष्ठ–....18..../टि० पर दिनांक–17.01.026 को प्राप्त है तथा सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति पृष्ठ–....18.../टि० पर दिनांक– 19.01.026 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–09/न०वि०(स०वास्तु०)–02/2025....452....न०वि० एवं आ०वि० पटना, दिनांक–..19/01/26

प्रतिलिपि–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित आयोजना क्षेत्र प्राधिकार के अध्यक्ष/संबंधित नगर निगम के नगर आयुक्त/वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–02 (बजट) एवं प्रशाखा–06/लेखापाल, नगर विकास एवं आवास विभाग (दो प्रतियों में)/विभागीय आई0टी0 प्रबंधक को ई०मेल करने एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. कोषागार पदाधिकारी से अनुरोध है कि आवंटित राशि से अधिक की निकासी किसी भी हालत में नहीं होने दी जाय।

सरकार के संयुक्त सचिव।